न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.
राजस्व प्रकरण सं. 21/2016 GCMS NO2016/00056
दायरा तिथि : 03.03.2016
निर्णय तिथि: 21-3-2022

वादी:–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी)
तहसीलदार, बाली

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1. विक्रमादित्यसिंह पुत्र नरेन्द्रसिंह
2. गंगासिंह पुत्र खेतसिंह
3. भैरूसिंह पुत्र खीमसिंह
4. गजेन्द्रसिंह पुत्र नरपतसिंह
5. लादुसिंह पुत्र दुर्जनसिंह जातिगण राजपुत
   निवासीगण फालना स्टेशन तहसील बाली
6. मदनलाल पुत्र जीवराज जाति कलाल
   निवासी फालना स्टेशन तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

उपस्थिति :–
1. नायब तहसीलदार, बाली — पेरोकार सरकार की ओर से
2. श्री गणपतलाल चौधरी ..... अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 की ओर से

–:: निर्णय ::– दिनांक : 21-3-2022

वाद अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी तहसीलदार, बाली ने बहैसियत भूमिधारी राजस्व रेकर्ड व मौका की स्थिति की जांच के पश्चात् ग्राम सेला तहसील बाली में स्थित भूमि खसरा नंबर 81 रकबा 1.70 हैक्टर का कृषि भिन्न यानि अकृषि प्रयोजनार्थ यथा आवासीय व वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ में उपयोग में लिया जाना पाये जाने से प्रकरण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया। अपने प्रार्थना में प्रार्थी तहसीलदार, बाली द्वारा वर्णित किया गया कि मौके पर बिना सांपरिवर्तन करवाये अवासीय/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ 200X 60=12000 वर्गफीट में आटा पिसाने की फैक्ट्री लगाई हुई है, तथा पुरे खसरे में प्लोटिंग कर आवासीय प्रयोजन उपयोग में लिये जाने की चेष्टा की जा रही है, अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177 के प्रावधानो का उल्लंघन होने से वर्णित भूमि को सिवाय चक घोषित कर कब्जा बहक सरकार लिये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण पंजिबद्ध कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 से 05 की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी द्वारा तथा अप्रार्थी संख्या–06 के अधिवक्ता श्री पृथ्वीराजसिंह द्वारा प्रकरण को कन्टेस्ट किया गया। प्रकरण को कन्टेस्ट करने से आगे की कार्यवाही वाद के रूप में किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण के चलते दिनांक 04.11.2016 को अप्रार्थी संख्या–06 मदनलाल व उसके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या–06 के द्वारा सेला के खसरा नंबर 81 रकबा 1.70 हैक्टर मेसे खरीद शुदा 1 बीघा (0.16 हैक्टर) का आवासीय कॉलोनी से कोई सबंध नहीं हैं। क्योंकि अप्रार्थी संख्या–06 को उद्योग विभाग द्वारा उक्त भूमि पर दलीया व्यवसाय का उद्योग लगाने बाबत् अनुमति पत्र जारी किया हुआ है, जिससे अप्रार्थी संख्या–06 की खरीद शुदा एक बीघा भूमि को डिबार्ड रखते हुये कार्यवाही ड्रोप किये जाने का निवेदन किया। जिस प्रार्थना पत्र वकुलाय को सुनने के पश्चात् न्यायालय आदेशिका दिनांक 04.11.2016 से प्रतिवादी संख्या–06 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करते हुये पत्रावली को प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के जबाव के रखा गया। दिनांक 19.12.2016 को प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की ओर जबावदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या–06 की एक बीघा भूमि व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की भूमि मौके पर अलग–अलग बंटी हुई है, लेकिन रेकर्ड में भूमि शामलाती मे दर्ज हैं। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं लिया जा रहा हैं। भूमि का बंटवाडा करने के उद्देश्य से पीलर खडे किये है लेकिन अकृषि प्रयोजनार्थ आज दिन तक कोई नहीं किया जा रहा है। जिससे प्रकरण में धारा 177 RTA. का उल्लंघन नहीं होने से कार्यवाही ड्रोप किये जाने का निवेदन किया। दावे व जबावदावे के आधार पर प्रकरण में वाद बिन्दु कायमी के पश्चात् वादी पक्ष की साक्ष्य के लिये रखी गई।

पेज लगातार.....02

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रकरण सं. 21/2016 GCMS NO2016/00056
अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम विक्रमादित्यसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दिनांक 21.01.2019 को वादी पेरोकार सरकार ने प्रकरण प्रस्तुती के समय प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड के अतिरिक्त नया कोई मौखिक साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा, जिसरो दिनांक 21.01.2019 की आदेशिका से वादी पक्ष की मौखिक साक्ष्य का अवसर बंद करते हुये प्रतिवादी पक्ष की साक्ष्य के लिये पत्रावली को रखा गया। प्रकरण के चलते न्यायालय द्वारा वर्तमान मौका रिपोर्ट भी तलब की गई। दिनांक 20.07.2021 को वर्णित भूमि का निरीक्षक भू0अ0 खुडाला व पटवारी हल्का, धणी द्वारा मौका निरीक्षण के पश्चात् मौका फर्द प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी पक्ष को भी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुती के लिये पर्याप्त समय अवसर दिये जाने के बावजुद मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने रो दिनांक 30.07.2021 को प्रतिवादी पक्ष के साक्ष्य का अवसर भी बंद करते हुये प्रकरण को बहस के लिये रखा गया।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात् वकुलाय की बहस सुनी गई। उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय बहस के पश्चात् प्रकरण में कायम वाद बिन्दुओ को निम्नानुसार निर्णित किया जाता है:-

1. आया प्रतिवादीगण संख्या 01 से 05 द्वारा ग्राम सेला तहसील बाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 81 रकबा 1.70 हैक्टर का अकृषि प्रयोजन उपयोग में लेने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो का उल्लंघन हुआ हैं ?.....वादी

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व वादी तहसीलदार, बाली का था। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात हैं कि पटवारी हल्का, धणी व निरीक्षक भू0अभिलेख खुडाला की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार, बाली धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.03.2016 को इस न्यायालय में पेश किया गया। जिस रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्रकरण प्रस्तुत हुआ है, इस बाबत् दिनांक 23.02.2016 को पटवारी हल्का, खुडाला द्वारा जो मौका फर्द तैयार की गई है, उस मौका फर्द के अनुसार मौके पर खसरा नंबर 81 कुल रकबा 1.70 हैक्टर किस्म बारानी सोयम में कृषि भूखण्ड कटे हुये हैं, व इसी खसरा नंबर में मदनलाल पुत्र जीवराज जाति मेवाडा कलाल की लम्बाई में 200 फीट एवं चौडाई में 60 फीट की आटा पिसाने की फैक्ट्री लगी हुई है जो चालु हैं। तथा राजस्व रेकर्ड के अनुसार वाणिज्यक प्रयोजनार्थ में भू0 आवंटन नहीं हैं, उक्त खसरा नंबर पर इस फैक्ट्री के अलावा अन्य मकान या किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हैं। पूरे खसरे में भूखण्ड कटे हुये हैं और भूखण्ड के निशान सीमेन्ट के पिलर लगाकर किये गये हैं। इस प्रकार प्रकरण प्रस्तुती के समय उक्त मौका फर्द के अनुसार मौके पर खसरा नंबर 81 रकबा 1.70 हैक्टर में 200x 60=12000 वर्गफीट में आटा पिसने की फैक्ट्री लगाई हुई थी। इसके अलावा शेष भूमि पर किसी प्रकार का आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाना प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 23.02.2016 से प्रमाणित नहीं है। इस सबंध में प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के द्वारा जबाबदावा में यह उल्लेखित किया हैं कि वर्णित भूमि सह खातेदारी की भूमि है, जो रिकार्ड में शामलाती दर्ज है, परन्तू मौके पर प्रत्येक खातेदार के हिस्सा अनुसार बंटवारा किया है, तथा अलग-अलग हिस्से के निशान पीलर लगाकर किये हुये है। भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होने के प्रमाण स्वरूप मौके के फोटो चित्र भी पेश किये गये है, जिन फोटो चित्रो के अवलोकन से भी यह प्रमाणित हैं कि भूमि मौके पर पडत पडी है। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 से 05 ने जबाव में उल्लेखित किया कि वाद में उल्लेखित भूमि ग्राम सेला के खसरा नंबर 81 रकबा 1.70 हैक्टर मेंसे प्रतिवादी संख्या-06 मदनलाल की भूमि एक बीघा मेंसे 200x 60=12000 वर्गफीट में आटा पिसाने की फैक्ट्री लगाई हुई थी। दिनांक 04.11.2016 को प्रतिवादी संख्या-06 के एक बीघा(0.16 हैक्टर) भूमि के सबंध में कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है। इस प्रकार जिस भूमि का वाणिज्यिक उपयोग हो रहा था, उसके विरूद्ध कार्यवाही न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.2016 को ड्रोप की जा चुकी हैं। इसके साथ ही न्यायालय द्वारा वर्तमान में तलब मौका स्थिति की रिपोर्ट के संदर्भ में निरीक्षक भू0अ0 खुडाला व पटवारी हल्का, खुडाला द्वारा दिनांक 20.07.2021 को जो मौका फर्द तैयार की गई है। इसके अवलोकन से भी वर्णित भूमि पर पत्थर की छीणो से तारबंदी कर प्लॉट किया होना बताया, परन्तु मौके पर किसी प्रकार का निर्माण अथवा आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने बाबत् कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया। प्रकरण प्रस्तुती के समय की मौका फर्द एवं वर्तमान मौका फर्द में वर्णित तथ्यों के अनुसार केवल मात्र मौके पर छीणा के टुकडे लगाकर तारबंदी करना ही प्रकट होता है, किसी रिपोर्ट में यह वर्णित नहीं हैं कि मौके पर आवासीय प्रयोजन उपयोग हो रहा है अथवा निर्माण कार्य हुआ हो। जिससे वकील प्रतिवादीगण की दलीलो को मानने में कोई आपत्ति नहीं हैं कि प्रकरण में वर्णित भूमि का प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जा रहा हैं। जब वर्णित भूमि का अकृषि प्रयोजन उपयोग में ही नहीं हो रहा है तो धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानो का प्रकरण में किसी प्रकार से उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं हैं। जिससे तनकी संख्या 01 वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के पक्ष में निर्णित की जाती हैं।

2. आया प्रतिवादीगण बिना संपरिवर्तन कराये कृषि भिन्न उपयोग में लेने हेतु विधि अनुसार बाध्य है ?.....

नहीं

पेज लगातार.....02

Scanned with CamScanner

राजस्व प्रकरण सं. 21/2016 GCMS NO2016/00056
अनवान राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली बनाम विक्रमादित्यसिंह वगैरा
अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व भी वादी तहसीलदार, बाली का था। तनकी संख्या–01 मे किये विवेचन के अनुसार वादग्रस्त भूमि ग्राम रोला के खसरा नंबर 81 रकबा 1.70 हैक्टर मेंसे प्रतिवादी संख्या–06 मदनलाल पुत्र खीमराज के हिस्सा की भूमि एक बीघा मेंसे 200x 60=12000 वर्गफीट में आटा पिसने की फैक्ट्री लगाई हुई थी। जिसके संबंध में न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.11.2016 को प्रतिवादी संख्या–06 के एक बीघा (0.16 हैक्टर) भूमि के संबंध में कार्यवाही ड्रोप की जा चुकी है। इस प्रकार जिस भूमि का वाणिज्यिक उपयोग हो रहा था, उसके विरूद्ध कार्यवाही न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.2016 को ड्रोप की जा चुकी हैं। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार की अकृषि प्रयोजनार्थ गतिविधि तनकी संख्या 01 में किये विवेचन के अनुसार प्रमाणित नहीं हैं। जब वर्णित भूमि का अकृषि प्रयोजन उपयोग में लिया जाना साबित ही नहीं है तो कृषि भिन्न उपयोग में लेने हेतु विधि अनुसार बाधित होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। जिससे तनकी संख्या–02 प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के पक्ष में तथा वादी तहसीलदार, बाली के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं।

3. आया प्रतिवादीगण द्वारा भूमि का कृषि भिन्न उपयोग नहीं किया है। सह खातेदारो के बंट हिस्से अनुसार मौके पर निशानात किये थे। जिससे वादी का वाद चलने योग्य नहीं हैं ..... प्रतिवादीगण

उक्त तनकी को सिद्ध करने का दायित्व प्रतिवादी संख्या–01 से 05 का था। प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के द्वारा जबाबदावा में उल्लेखित तथ्यों से यह प्रमाणित हैं कि सह खातेदारो के बंट हिस्से अनुसार मौके पर निशानात किये थे। जिसकी पुष्टि जबाबदावा के साथ प्रस्तुत मौके के फोटो चित्र एवं प्रकरण प्रस्तुती के समय पटवारी हल्का, धणी द्वारा तैयार मौका फर्द दिनांक 23.02.2016 एवं वर्तमान मे दिनांक 20.07.2021 को तैयार मौका फर्द व मौके के फोटो चित्रो से भी यह बखूबी प्रमाणित हैं कि वर्णित भूमि पर किसी प्रकार की अकृषि प्रयोजन गतिविधि नहीं हो रही हैं, भूमि मौके पर पडत पडी हैं। जिससे उक्त तनकी भी प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के पक्ष में तथा वादी तहसीलदार, बाली के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं।

तनकी संख्या 01 से 03 वादी के विरूद्ध निर्णित होने एवं ग्राम रोला के खसरा नंबर 81 रकबा 1.70 हैक्टर मेंसे प्रतिवादी संख्या–06 मदनलाल की एक बीघा भूमि के संबंध में न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.11.2016 से कार्यवाही ड्रोप होने तथा शेष रही भूमि के खातेदार प्रतिवादी संख्या 01 से 05 के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का किसी प्रकार से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जाना साबित नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की भूमि के संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की कार्यवाही ड्रोप की जाती हैं। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अनुज प्रकाश)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

निर्णय आज दिनांक 21-9-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner